न्यायालय विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) अधिनियम झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–153/2026

(लौकहा थाना कांड संख्या–158/2017; अन्तर्गत धाराः 272, 273 भा0द0वी0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम प्रकाश मांझी उर्फ प्रकाश रंजन यादव

दिनांक	आदेश न्यायालय के हस्ताक्षर सहित	अभियुक्ति
21.04.2026	आवेदक अभियुक्त **प्रकाश मांझी उर्फ प्रकाश रंजन यादव,** उम्र–41 वर्ष, पिता–नविन कुमार मांझी, सा0–चतुर्भुज पीपराही, थाना–लौकहा, जिला–मधुबनी की ओर से लौकहा थाना कांड संख्या 158/2017 (अन्तर्गत धाराः 272, 273 भा0द0वी0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम) मे गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 11.02.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री बालेश्वर गुरमैता द्वारा प्रचालित किया गया जिसकी प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक अरविंद प्रसाद वर्मा को पूर्व मे ही प्रदान की गयी है। उक्त जमानत आवेदन पर उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन संचालित करते हुए अभिकथित करते है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त के ओर से पूर्व मे न तो विशेष न्यायालय (उत्पाद) के समक्ष अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कोई जमानत याचिका न तो लंबित है और न ही दाखिल किया गया है। आवेदक वयस्क है एवं उनका इस कांड के अलावे दो अन्य आपराधिक इतिहास (लौकहा थाना कांड सं0–37/2022 एवं डगरूआ थाना कांड सं0–246/2020) है जिसमें से एक वाद बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है। याचिकाकर्ता का नाम इस कांड मे सह–अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है। याचिकाकर्ता को ग्रामीण दुश्मनी के कारण इस केस मे झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष का मामला पुरी तरह झूठा और मनगढ़त है तथा जैसा आरोप लगाया गया है वैसा कोई घटना घटित नही हुआ है। याचिकाकर्ता घटनास्थल पर कही दिखाई नही दिए है। याचिकाकर्ता न्यायप्रिय व्यक्ति है एवं उसके फरार होने तथा उनके द्वारा साक्ष्य से साथ छेड़छाड़ किये जाने की कोई संभावन नही है। याचिकाकर्ता न्यायालय के सभी निर्देषो का अनुपालन करने को तैयार है तथा अच्छे से अच्छा जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करने किये जाने की प्रार्थना करते हैं। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया तथा अभिकथित किया गया कि इस कांड मे आवेदक का नाम सह–अभियुक्त भवानी प्रसाद साह के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है। इस कांड मे घटनास्थल से कुल 228 लीटर नेपाली दिलवाले सौफी शराब बरामद किया गया है तथा गुप्तचर द्वारा बताया गया है कि जप्त शराब आवेदक का है। याचिकाकर्ता का इस कांड के अलावे दो अन्य आपराधिक इतिहास है। बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत अवेदन का वर्जना किया गया है। अतः याचना करते है कि याचिकाकर्ता के ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषनीय नहीं है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद भा0द0वी0 का धारा 272, 273 एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के अंतर्गत दर्ज किया गया है। बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत आवेदन का वर्जन किया गया है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामविनय यादव बनाम बिहार राज्य मे यह निर्धारित किया गया है कि बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) अन्तर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही है, फिर भी यदि मामले मे अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध नही बनता है तब आवेदन पोषणीय माना जा सकता है। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि इस कांड मे आवेदक का नाम सह–अभियुक्त भवानी प्रसाद साह के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है तथा दिनांक 02.08.2017 को गस्ती के क्रम मे समय करीब 07:45 बजे इस केस के सूचक एवं अन्य पुलिस बल द्वारा पिपराही गांव से पूरब	
लगातार...		

Nayankumar

उपस्थित–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–वि0 न्या0 उ0 अधि0, झंझारपुर

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) अधिनियम झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–153/2026

(लौकहा थाना कांड संख्या–158/2017; अन्तर्गत धारा: 272, 273 भा0द0वी0 एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम प्रकाश मांझी उर्फ प्रकाश रंजन यादव

21.04.2026	उत्तर कुपही पोखर से 09 प्लास्टिक के बोरा से 300 मिली0 का 760 बोतल कुल 228 लीटर नेपाली देशी दिलवाले सौफी शराब बरामद किया गया जो कि आवेदक प्रकाश मांझी उर्फ प्रकाश रंजन यादव का है। कांड दैनिकी के कंडिका 37 एवं 38 (शराब जांच प्रतिवेदन) के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि घटनास्थल से जप्त पदार्थ शराब है। पूरक कांड दैनिकी के कंडिका 04 एवं आवेदक के ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन के कंडिका 03 के अवलोकन के परिलक्षित होता है कि आवेदक का इस कांड के अलावे दो अन्य आपराधिक इतिहास (लौकहा थाना कांड सं0–37/2022 एवं डगरूआ थाना कांड सं0–246/2020) है जिनमें से एक वाद बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित है। मूल कांड दैनिकी के कंडिका 05, 06, 08, 09, 10, 13, 16, 23, 26 एवं 38 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि सभी साक्षियों द्वारा घटना का पूर्णरूपेण समर्थन किया गया है तथा सह–अभियुक्त द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गयी है कि बरामद शराब आवेदक का है जिससे प्रथम दृष्टिया याचिकाकर्ता के इस कांड मे एवं शराब के भंडारण एवं कारोबार मे संलिप्तता परिलक्षित होती है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वाद की परिस्थितियों, आपराध की प्रकृति एवं विशेषतया वाद के वर्तमान प्रक्रम, कांड मे की गयी भारी मात्रा मे बरामदगी एवं याचिकाकर्ता के आपराधिक इतिहास तथा बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) को ध्यान मे रखते हुए आवेदक **प्रकाश मांझी उर्फ प्रकाश रंजन यादव** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोष्णीय नही होने के कारण **खारिज** किया जाता है। लेखापित Nayankumar. 21.04.26 (श्री नयन कुमार) अनन्य विशेष न्यायाधीष, उत्पाद, झंझारपुर	

उपस्थित:–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–वि0 न्या0 उ0 अधि0, झंझारपुर